रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –12 ● कानपुर 16 से 30 जून 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता हेतु गठित अन्तरविभागीय समिति करेगी पड़ताल

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता हेतु गठित अन्तरविभागीय समिति ने अपनी बैठक दिनांक 27–05–2019 को जिन बिन्दुओं पर चर्चा की उसमे प्रमुख रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों, शिक्षण स्टाफ एवं जन सामान्य को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं पर विचार किया गया, प्राप्त सूचना के अनुसार इस बैठक में सशोधित संयुक्त प्रपोजलकर्त्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में विशेष आमंत्रित के अतिरिक्त सर्वश्री डा0 के0 डी0 तिवारी, डा0 ए0 पी0 मौर्या डा0 संजीव शर्मा, प्रोफेसर के0ए0 बक्शी, डा0 सुरेश बाबू , डा0 बाहुबली शाह, डा0 अजीत सिंह, डा0 कमलकान्त नायक, एडवोकेट शर्मा (राजस्थान) प्रोफेसर डा0 आर0 पी0 शर्मा आदि सम्मिलित हुए बैठक में अनेक बिन्दुओं पर चर्चा सकारात्मक रही, समिति द्वारा इस बात के संकेत दिये गये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की संचालित शिक्षण संस्थाओं में भवनों, उपलब्ध संसाधनों, शिक्षण स्टाफ की योग्यता एवं अनुभव आदि का अभाव है तथा कालेज में उपलब्ध चिकित्सालय एवं O.P.D. से जन साधारण को मिलने वाले लाभ का भी भौतिक सत्यापन कराया जाये यदि आवश्यक होगा तो समिति इन संस्थानों का निरीक्षण स्वयं करेगी, संस्थानों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ से साक्षात्कार करेगी और उनकी योग्यता के बारे में जानकारी के साथ साथ उनके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में तर्कपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करेगी, संस्थान द्वारा संचालित किये जा रहे चिकित्सालय में उपलब्ध औषधियों की खरीद, भण्डारण एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों की भी जांच करेगी, रोगियों के रजिस्टर एवं उनको दी जा रही औषधियों के बारे में भी जानकारी लेगी एवं रोगियों के लाभ के प्रतिशत का भी आंकलन करेगी।

अन्तरविभागीय समिति ने इस बात का आभास भीदिया है कि मानो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक पर्याप्त शिक्षित नही है और संस्थानों में शिक्षण हेतु संसाधनों का भी अभाव है चिकित्सालयों में कितने रोगी आये, कितनों को दवा दी गयी उनमे कितने ठीक हुए इनसब का विवरण स्पष्ट नही है, जबकि इसके विपरीत प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में संचालित हो रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षण हेतु पर्याप्त संसाधन है तथा लगभग सभी संस्थानों में C.M.E. की सुविधा भी उपलब्ध है अनेक संस्थानों द्वारा समय समय पर चिकित्सा शिवरों का आयोजन भी किया जाता है जिसमे क्षेत्र के साभ्रान्त नागरिक एवं राजनेता तक उपस्थित होते है कुछ संस्थाओं द्वारा C.M.E. का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि इन C.M.E. से कोई भी लाभ प्राप्त नही हो रहा है क्योंकि इनमे जो भी विशेषज्ञ आते हैं उनके द्वारा जो भी लाभ दिया जाता है उनको आकड़ों के रूप में संकलित नही किया जाता है, इस प्रकार ऐसी C.M.E.का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अन्तरविभागीय समिति द्वारा यह भी संकेत मिल रहे हैं कि वह यह जानना चाहती है कि अन्य चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक भी क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करते हैं समिति को यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संस्थानों में लगभग 40 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ अन्य चिकित्सा पद्धतियो के चिकित्सक है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से भली भांति परिचित भी है तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना योगदान देते हैं अर्थात यह किसी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक से कम योग्य हैं, अन्तविभागीय समिति द्वारा संकल्पित भौतिक एवं स्थलीय सत्यापन हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को चाहिये कि वह अब वांछित एवं आवश्यक भवन, शिक्षण स्टाफ, चिकित्साकीय व्यवस्था ठीक कर लें और इन सभी को अभिलेखीय रूप भी दे दें, विशेष रूप से चिकित्सालयों के अभिलेखो में जिनमें रोगियों का विवरण एवं औषधियों की खरीद तथा उपयोग का स्पष्ट विवरण अंकित करें जिससे निरीक्षण के समय सहजता से सत्यापन कराया जा सके, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं को यह अवगत होना चाहिये कि अन्तरविभागीय समिति द्वारा जो सन्देश दिया जा रहा है वह एक सामान्य प्रक्रिया है जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास हम कर रहे हैं उसमें यह सूचनायें एवं साक्ष्य अति न्यून हैं यह मात्र इसलिए है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगभग 150 वर्षो से भारत के चिकित्सा क्षेत्र में जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही है तथा हजारो की संख्या में इससे जुड़े लोग स्वरोजगार कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं देश की वर्तमान सरकार सबका साथ और सबका विकास के आधार पर यह चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित अन्य गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए आवश्यक नियमन कर उनको भी मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये जिससे देश की जनता अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की भांति इन पद्धतियों से भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाज भली भांति परिचित है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जो भी शासकीय आदेश प्राप्त हुए हैं इसमें वर्तमान सरकार के साथ साथ तत्कालीन सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसका परिणाम है कि वर्तमान कार्यक्रम निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है, यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो वांछित एवं आवश्यक अभिलेख एवं सूचनाओं को प्रस्तुत करना ही होगा।

डा0 हषवर्धन माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
श्री अश्वनी कुमार चौबे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
श्री श्रीपद नाईक आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (EHMAI)
बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0
एवं इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट परिवार की ओर से हार्दिक बधाई

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
website: www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

ORGANISATIONAL / PROPOSALISTS DETAILS

i.	Name of the Organization/Institute/ Board/ Society/Council	: Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P. (Details enclosed)
ii.	Address with Pin Code Number, Phone Number & Email ID	: 8- Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 Adm.office : 127/204"S" Juhi, Kanpur-208014 Mobile No: 9415074806 Wts App No: 7081624593 Email: behm.up@rediffmail.com
iii.	Registration Number with date of establishment	: 115/1975-76 18 April, 1975 24 April, 1975
iv.	Name of Organization head with designation	: Mohammad Hashim Idrisi - Chairman
v.	Qualification of Organization Head with issuing authority	: (a) Professional : D.Sc.E.H {Indian Electro Homoeopathic Medical Council, Orai, U.P.} (b) Medical: (c) Others: M.A. - Agra University, Agra
vi.	Name of the Course Running	: F.M.E.H., M.B.E.H., G.E.H.S., P.G.E.H. & A.C.E.H. (Prospectus enclosed)
vii.	No. of students passed out in academic session from the date of Establishment to till date	: 23516 Students enrolled from Session 1977 to 2019
viii.	To whom got permission for taking examination and issuing Degree/ diploma/certificates	: (a) Judiciary - Allahabad High Court (b) State Govt. - Uttar Pradesh (c) Central Govt. - (d) Others - Order issued by Department of Medical & [illegible] Vide No 2014/[illegible] Dated 04 January 2012 (Copy enclosed)
ix.	Are you manufacturing medicines	: Yes / No NO Give the titled details

Dated : 25 May, 2019

Signature of Authorised Representative with stamp
Registrar
Board of Electro Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh
LUCKNOW-226001

Signature of Organization Head
Designation : Chairman
Office Stamp

इलेक्ट्रो होम्योपैथी न्यू ड्रग्स पालिसी की कसौटी पर

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 28 फरवरी, 2017 को जारी नोटिस द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए जो बिन्दु निर्धारित किये गये उसपर निरन्तर 4 बैठकें आयोजित की गयीं जिसका निष्कर्ष यह निकल रहा है कि ....

अन्तर विभागीय समिति ने अब भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यू ड्रग्स पॉलिसी की तरफ़ अपना ध्यान कर लिया है और अब जो भी सूचनायें उसके द्वारा वांछित हैं वह उसी के अनुरूप मांगी जा रही हैं सूत्रों से जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उसके अनुसार औषधि निर्माताओं का विस्तृत विवरण उनके द्वारा उत्पादन एवं विक्रय का तुलनात्मक संतुलन पत्र, औषधि निर्माण विधि एवं उसकी गुणवत्ता पर भी विचार करने की बात की जा रही है इसके साथ ही उनके द्वारा किन व्यक्तियों/संस्थाओं को औषधि विक्रय की जाती है तथा क्रय करने वाले व्यक्ति/संस्थान द्वारा उन औषधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उनके भी आंकड़े जानने की बात की जा रही है, यह भी सम्भव है कि अन्तरविभागीय समिति द्वारा औषधि निर्माताओं एवं उपयोगकर्ताओं के स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन भी किया जा सकता है अन्तरविभागीय समिति द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह प्रतीत होता है कि औषधियों के निर्माण में आवश्यक मानकों का पालन किया जा रहा है या नही ! औषधि उपयोग कर्ता अर्थात चिकित्सक/ चिकित्सालयों द्वारा इन औषधियों का प्रयोग समुचित ढंग से किया जाता है तथा इनका कोई रिकार्ड भी इनके द्वारा रखा जाता है अथवा नहीं एवं औषधि के लाभ का प्रतिशत क्या है !

आंकड़ों के नाम पर सरकार के सामने से खाली हाथ लौटना पड़ा, यहां पर यह जानना आवश्यक है कि आखिर आंकड़े हैं क्या ?किसी वस्तु के बारे में किसी तथ्य या जानकारी को देना ही आंकड़ा ;कंजंद्व कहलाता है जैसे हम किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं और उससे प्राप्त परिणामों का जो संकलन करते हैं वह डाटा है, डाटा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं संख्यात्मक तथा चिन्हात्मक, सम्पूर्ण डाटा को एक जगह एकत्रित करना एक बड़ा कार्य है परन्तु जो प्रपोज़लकर्ता हैं उनको इसकी तैयारी करनी चाहिये थी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा की गयी प्रैक्टिस के दौरान प्राप्त सकारात्मक परिणामों को साक्षों सहित प्रस्तुत करना भी एक चुनौती है परन्तु यह सारे कार्य तो करने ही होंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कितने चिकित्सालय हैं, कितने चिकित्सक हैं, कितने रोगियों को देखा गया है, उनमें से कितनों को रोगमुक्त किया गया है, औषधि निर्माता कौन हैं औषधि कहां और कैसे बनती है, उसकी विधि क्या है, इन सबके आंकड़े होने चाहिये, अन्तर विभागीय समिति ने निरन्तर इन आंकड़ों की प्रपोज़लकर्ताओं से मांग की है, किन्तु प्रपोज़लकर्ताओं द्वारा यह आंकड़े नहीं उपलब्ध कराये गये या फिर कह सकते हैं कि इन आंकड़ों का अभाव है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा के दिशा निर्देश के रूप में 25 नवम्बर, 2003 का आदेश जारी किया गया है तथा इसमें उत्पन्न भ्रम को स्पष्ट करने के लिए 5–5–2010 जारी किया गया, सरकार द्वारा जारी 25 नवम्बर, 2003 को जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान एवं विकास का कार्य निर्बाध रूप से किया जा सकता है किन्तु सरकार द्वारा आधी अधूरी कार्यवाही होने के कारण राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्रशासनों द्वारा कार्य करने में निरन्तर बाधायें उत्पन्न की जाती रही हैं जो आज भी जारी है, सरकार द्वारा वांछित आंकड़ों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थानों द्वारा सहजता से उपलब्ध कराया जा सकता है क्योंकि इसके चिकित्सक एवं चिकित्सालय पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं किन्तु स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण चिकित्सक एवं चिकित्सालय अपना कार्य समुचित ढंग से नही कर पा रहे हैं।

केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए वास्तव कुछ करना चाहती है तो उसे चाहिये कि राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित करे कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त/नामित करे जिनकी देख रेख में चिकित्सक अपना कार्य करे तथा उनके द्वारा किये कार्यों का सत्यापन हो सके इससे जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे वह स्पष्ट एवं पारदर्शी होंगे।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसन, उ0प्र0 की सेमेस्टर परीक्षायें 26 जून, 2019 से होंगी

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION JUNE 2019

Name of the course	26 th June , 2019 Wednesday	27 th June , 2019 Thursday	28 th June , 2019 Friday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy &Philosophy	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	Medical Jurisprudence & Toxicology	**Dietetics**
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	Materia Medica	Practice of Medicine

Timing → 7:30 A.M. to 10:30 A.M.

Atiq Ahmad
Examination Incharge

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
Email: registrarbehmup@gmail.com

पंत्रांक – 038/बी0ई0एच0एम0/2019–20 दिनांक 08-05-2019

नोटिस U/C 30 (IV)

समस्त सम्बन्धित एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 आर्टिकल्स 1975 के क्लाज़ 30 (IV) के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को जिनके सम्मुख जनपद एवं पंजीयन संख्या अंकित है, इनको रजिस्ट्रर्ड पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी जो कार्यालय को वापस प्राप्त हो गयी है।

अतः यदि सम्बन्धित के पतों में संशोधन हुआ हो तो वह उसे शुद्ध करा लें और यदि चिकित्सा व्यवसाय बन्द कर दिया हो तो सूचित करें जिससे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में अद्यतन स्थिति अंकित की जा सके –

क्रम सं0	नाम	ज़िले का नाम	रजिस्ट्रेशन नम्बर
01	दिनेश कुमार	हमीरपुर	4316
02	श्रीमती साधना यादव	शाहजहांपुर	5114
03	जियालाल	थाणे(महाराष्ट्)	6939
04	मनोज कुमार	गाजियाबाद	6953
05	मो0 नईम	प्रतापगढ़	7071
06	भृगुनाथ	अहमदाबाद	7201
07	अनिल कुमार	नई दिल्ली	7211
08	सुभाष चन्द्र	उन्नाव	7212
09	राजभर आरती धर्मराज	आजमगढ़	7234
10	रमेश दत्त पाण्डेय	लखीमपुर	7256
11	तशलीम मियाँ	इटावा	7259
12	कु0सल्तनत जहाँ	कन्नौज	7260
13	रियाज अहमद खान	आजमगढ़	7278
14	शंकर विश्वास	फिरोजाबाद	7295
15	गज़नफर अली खान	अलीगढ़	7311
16	नागेश्वर प्रसाद द्विवेदी	फिरोजाबाद	7314
17	मो0 हसीब	फैजाबाद	7318
18	चन्द्र शेखर यादव	आजमगढ़	7328
19	नजमा शहीन	मऊ	7335
20	अलोक कुमार मिश्रा	रायबरेली	7355
21	सालिग राम त्रिपाठी	वाराणसी	7360
22	रन बहादुर	आजमगढ़	7371
23	ओम प्रकाश	बाराबंकी	7375
24	कु0 संजय देवी	लखनऊ	7384
25	श्रीमती चन्द्रकला	बलिया	7387
26	कु0 रीमा रानी	बुलन्दशहर	7393

ह0
रजिस्ट्रार

इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर बनें चिकित्सक – रजिस्ट्रार

जब छात्र/छात्राएं माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेते हैं तो उनमें से अधिकांश अपने भविष्य के बारे में चिन्तित होते हैं सबसे पहले 12वीं के बाद स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम कोर्स चुनना शुरू करते हैं कुछ छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के लिए सही कोर्स के बारे में जानकारी होती है लेकिन कुछ छात्रों को यह पता नहीं होता कि उनके कैरियर के लिए अच्छा कोर्स कौन सा हो सकता है, जो कुछ भी चयन किया जाये वह रूचि और जुनून के अनुसार होना चाहिये, प्रदेश में अनेक कोर्स प्रचलित हैं और छात्र अपनी इच्छानुसार कोर्स का चयन कर मंजिल पाने का प्रयास करते हैं हम आपको यहां यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप 12वीं उत्तीर्ण हैं और आप मेडिकल लाइन में जाकर गरीबों और जरूरतमन्दों की सेवा करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक बनकर गरीबों तथा जरूरतमन्दों की सेवा कर सकते हैं, यह कोर्स सरल और सस्ता है जो आसानी से किया जा सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक चिकित्सा पद्धति है जो विष रहित, हानि रहित तथा वनस्पति जगत पर आधारित सस्ती एवं सम्पूर्ण रोगों पर त्वरित कार्य करने वाली विधा है, यह बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देती है। इस पैथी को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने ही स्वीकार किया जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने के आवाहन पर प्रदेश सरकार ने निरीक्षण तथा परीक्षण कर सन्1953 में एक अर्धशासकीय पत्र जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रास्ता आसान किया। 1953 के इस पत्र में प्रदेश शासन ने प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा इलाज होने की बात स्वीकारी तथा अन्य स्थापित चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी विकास की ओर अग्रसर हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 4 जनवरी, 2012 को प्रदेश की एक मात्र विधि सम्मत संस्था बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में एक शासनादेश जारी कर इस संस्था को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास करने के लिए अधिकृत किया है।

उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने क्रमशः 02 सितम्बर, 2013 एंव 14 मार्च, 2016 को प्रदेश के समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को आदेशित किया कि वे इस आदेश का परिचालन शासकीय निर्देशानुसार अपने अपने मण्डलों में करायें अर्थात आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी कर बेधड़क प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, परन्तु यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रदेश में कौन सी वह संस्था है जिसे प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है और उसके पक्ष में आदेश जारी किया है आप उसी संस्था से कोर्स करें यह जानकारी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने एक गोष्ठी में दी। डा0 अहमद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण की दिशा में बड़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है और बहुत सम्भव है कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिये जायें, सरकार द्वारा निरन्तर बैठकें की जा रही हैं बहुत जल्द ही इन बैठकों के परिणाम सामने दिखायी देने लगेंगे इसलिए इस कोर्स को करके आप डाक्टर बनकर स्वरोज़गार के साथ-साथ जनसेवा करने में लगें।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी नियमन के सम्बन्ध में केन्द्र के आदेश का राज्य सरकार करेगी पालन

उत्तर प्रदेश शासन ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीकरण हेतु नियम/विनियम बनाये जाने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की अध्यक्षता में दिनांक 4-12-2015 को कार्यालय ज्ञाप जारी कर एक कमेटी का गठन किया था जिसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन आदेशों, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशों, चिकित्सा/शिक्षा/अनुसंधान आदि कार्यों हेतु प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से प्रशिक्षित व्यक्तियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में प्रैक्टिस करने हेतु नियम/विनियम बनाये जाने हेतु शासन को सुसंगत प्रस्ताव/ संस्तुति उपलब्ध कराना था इस आदेश का पालन करते हुए महानिदेशक ने कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियम/विनियम बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार का है उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार नियम/विनियम बनाती है तो राज्य सरकार द्वारा उसका पालन किया जायेगा।

पाठकों को ज्ञात होगा कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 25-11-2003 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आदेश किया था जिसमें कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं की जा सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसको लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याखित किया, लोगों ने समझ लिया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता समाप्त हो गयी है, इस आदेश पर भारत सरकार ने 5-5-2010 को स्पष्टीकरण दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, बशर्ते यह 25-11-2003 के अनुसार की जाये, इस आदेश के बाद भी संशय बना हुआ था तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने पहल की जिसके फलस्वरूप भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ने दिनांक 21 जून, 2011 को एक स्पष्ट आदेश जारी करते हुए सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि 25-11-2003 एवं 5-5-2010 के आदेश को भारत सरकार का निर्देश माना जाये। भारत सरकार के इस आदेश का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में दिनांक 4 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किया जिसमें उल्लेख किया कि–

"तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जब तक कि यह दिनांक 25-11-03 के आदेश संख्या आर-14015/25/96 यू0 एण्ड एच0 (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि राज्य सरकार पहले ही मान चुकी है कि मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रिया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित्त किया जायेगा, आपको यह भी बताना अनुचित न होगा कि इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा क्रमशः दिनांक 2 सितम्बर, 2013 एंव 14-3-2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिचालन हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं, वर्तमान आदेश में राज्य सरकार ने पुनः स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में वह केन्द्र सरकार के आदेश का पालन करेगी जैसा कि उसने 21 जून, 2011 के आदेश का अनुपालन करते हए आदेश के क्रियान्वयन हेतु 4 जनवरी, 2012 का आदेश जारी किया है अर्थात राज्य सरकार पूरी तरह आश्वस्त करना चाहती है कि आप नियमानुसार कार्य करते रहें निश्चित तौर पर आपको विनियमित किया जायेगा।

राज्य सरकार के इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास का नियन्त्रण राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाना है जबकि नियमन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है, ऐसी स्थिति में देश की समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं का दायित्व बन जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भरपूर विकास करें तथा सर्वजन को इसकी चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने का यथा सम्भव प्रयास करें यदि वह ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर वह अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों को पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं राज्य सरकार के इस आदेश से यह भी संदेश मिलता है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा में किसी प्रकार का कोई अवरोध एवं बाधा उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं है सरकार के इस मंतव्य से इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं को मात्र कार्य पर फोकस करना चाहिये इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके विपरीत यदि वह आदत के अनुसार पुनः कोई प्रयास करेंगे तो वह अपने आप को पीछे ही ढकेलेंगे।

अस्तु प्रदेश की ही नहीं अपितु देश की समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थायों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार एवं विकास में पूर्ण तन्मयता से लग जाना चाहिये एवं जब तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं आता है तब तक निश्चिन्त होकर कार्य करना चाहिये, इसका मंत्र राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश के माध्यम से आपको दिया जा चुका है, केन्द्र सरकार से जो भी निर्णय आयेगा वह ठीक ही होगा क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि सरकार का दृष्टिकोण 21 जून, 2011 के आदेश के अनुरूप आज भी है आने वाला आदेश इससे कम नहीं होगा।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवे परिवार कल्याण मंत्रालयभारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)
8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष **M.B.E.H.** तीन वर्ष – इण्टरमीडियेट जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष **P.G.E.H.** दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत, सूचीकृत चिकित्सक)

प्रवेश व परीक्षा का कैलेण्डर

F.M.E.H. & A.C.E.H. की परीक्षायें सेमेस्टर वाइज़ वर्ष में 4 बार होंगी जो इस प्रकार है :— March , June , September and December

F.M.E.H. / A.C.E.H. Semester Cycle.

Enrolment	Examination	Result
Up to 30th. January	Last Week of June	Last week of July
Up to 30th. April	Last Week of September	Last week of October
Up to 30th. July	Last Week of December	Last week of January
Up to 30th. October	Last Week of March	Last week of April

M.B.E.H. , G.E.H.S & P.G.E.H. Annual Cycle

Enrolment	Examination	Result
Up to 30th. July	March	Last week of April

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 9335916076
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	Dr. M.A. Idrisi, 9451274526
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9935870799
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 842396191
10	Electro Homoeopathic Medical Insitute Jalaun, 2/55 Awas Vikas Colony, Jalaun	Dr. Savitri Devi	Kuldeep Singh, 9451542329
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
12	Mau Electro Homoeopathic Medical Insitute, Prem Nagar Chakiya(Chiraiya Kot Road), Mau	Dr. Ramesh Upadhyay	Dr. Iftekhar Ahmad,9616675062
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 9415758906
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Ri	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	9415669294
18	Bundel Khand Electro Homoeopathic Medical Institute, Campus Shri Lakhan Smarak Kanya Jr.H. School 1363 Y-4 Dhobin Pulia, Hanumant Vihar, NaubastaKANPUR	Dr. Pramod Kumar singh 9307199994	Mr. Rahul Bajpai, 9650466359

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9936131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
54	Dr. Hari Singh	Nagla ParamSukh, Etmadpur	AGRA	9359350670	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	7007352458	
58	Dr.Brajesh Kumar Sharma	Shanti Devi Electro Homoeopathic Study Centre, Borna	ALIGARH	9416855688	Dr. Ram Babu Singh 9416855688
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	7417775346	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	9936769580	mpsr31@gmail.com
65	Smt. Varsha Patel	Banarsi Dham, Bindki	FATEHPUR	8853961545	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
93	Dr. Rajesh	Garh Mukteshwar	HAPUR	8958961964	

Registrar